



आदेश

उर्दू अनुवादक/सहायक कनिष्ठ लिपिक आफाक अहमद को अनुकम्पा के आधार पर इनके निजी व्यय पर जनपद देवरिया से जनपद बाराबंकी स्थानांतरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त संख्या:एएसपी- (ई-1)-(जनरल)-03/2014 दिनांक:03.01.2014 में लिए गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

(ए0के0 सिंह)

पुलिस उपाधीक्षक स्थापना
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय , इलाहाबाद-1
संख्या:18-256-2013(स्थानांतरण), दिनांक:जनवरी 2014
45079

प्रतिलिपि:- निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक , कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ
2. पुलिस महानिरीक्षक स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ
3. पुलिस महानिरीक्षक , गोरखपुर जोन , गोरखपुर।
4. पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन , लखनऊ।
5. पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्मिक उ0प्र0 लखनऊ।
6. पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर।
7. पुलिस उपमहानिरीक्षक फैजाबाद परिक्षेत्र, फैजाबाद।
8. पुलिस अधीक्षक देवरिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उर्दू अनुवादक/सहायक कनिष्ठ लिपिक आफाक अहमद को तत्काल कार्य मुक्त कर सर्व संबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें।
9. पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त उर्दू अनुवादक/सहायक कनिष्ठ लिपिक आफाक अहमद के आगमन की तिथि से सर्व सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।